# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2576—दो/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 6—8—2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 443/अपील/04—05.

रघुवंश प्रसाद तिवारी पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप
तिवारी निवासी ग्राम वीरखाम तहसील सिमरिया जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी श्री अवधराज सिंह
2 श्रीमती रीता सिंह पत्नी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
3 श्रीमती शिखा सिंह पत्नी श्री अजीत सिंह
निवासीगण ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0 प्र0
4 मुस0 माला देवी तिवारी पत्नी श्री सुरेश तिवारी
5 पुष्कर प्रसाद तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप तिवारी
6 सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री सुरेश प्रसाद तिवारी
निवासीगण वीरखाम तहसील सिमरिया
जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 2576—दो/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के

प्रकरण कमांक 443/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 6–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । सरपंच ग्राम पंचायत वीरखाम के प्रकरण कमांक 1/20 एवं नामांतरण पंजी कमांक 69 में पारित आदेश दिनांक 17–2–04 से ग्राम वीरखाम स्थित वाद भूमि खसरा नंबर 945/1 का नामांतरण गैर निगराकार 4 से 6 के पिता स्व0 सुरेश के हित में किया गया । इसके बाद सुरेश ने गैर निगराकार 1 से 3 को वाद भूमि का विक्रय किया । वर्ष 2014 में निगराकार रघुवंश ने ग्राम पंचायत के वर्ष 2004 के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष इस आधार पर अपील की कि ग्राम पंचायत की संबंधित बैठक आयोजित नहीं हुई थी, तथा उन्हें हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद सूचना दिये बगैर ग्राम पंचायत का आदेश हुआ था जिसके चलते उन्हें विलंब से जानकारी मिली । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई अपील में गैर निगराकार 1 से 3 को पक्षकार नहीं बनाया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण कमांक 35/अ–6/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 11–2–15 से राजीनामे का आधार लेते हुए निगराकार रघुवंश का नाम वाद भूमि पर पुनः अंकित किये जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील हुई । अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 443/अपील/14–15 में पेशी दिनांक 20–7–15 को निगराकार रघुवंश ने आपत्ती आवेदन दिया कि चूंकि गैर निगराकार 1 से 3 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं थे और उन्होंने अपील प्रस्तुत करने के पूर्व अनुमति नहीं ली है, अतः अपील निरस्त की जाए । दिनांक 27–7–15 को इस आपत्ती आवेदन तथा धारा 5 के आवेदन पर तर्क सुने गए । दिनांक 4–8–15 को गैर निगराकार 4 से 6 ने गैर निगराकार 1 से 3 के सहमति पेश करने हेतु समय चाहा । दिनांक 6–8–15 को अपर आयुक्त ने विलंब माफ करने का आदेश पारित किया । इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है ।

3/ मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के मौखिक तर्क सुने, लिखित तर्क पढ़े, तथा प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया । मौखिक तर्क में ऊपर लिखे बिन्दु बताए गए ।

इनको, लिखित तर्क के बिन्दुओं को और अभिलेख को विचार में लेकर मैं यह आदेश पारित कर रहा हूँ ।

4/ प्रकरण में गंभीरता से विचार करने पर मैं यह पाता हूँ कि चूँकि गैर निगराकार 1 से 3 स्वंय को वाद भूमि का क्रेता बताते है, अतः अपर आयुक्त को न्यायपूर्ण निर्णय देने के लिये समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उन्हें 11–2–15 से 16–4–15 के मध्य की अवधि से संबंधित विलंब को माफ करना होगा । गैर निगराकार 1 से 3 चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं थे, अतः उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी देरी से मिलने का बिन्दु मान्य किए जाने योग्य है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–2–15 में यह लिखा है कि गैर निगराकार 4 से 6 ने निगराकार रघुवंश के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया, एवं अपर आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 4–8–15 में यह लिखा है कि गैर निगराकार 4 से 6 अपना सहमति पत्र गैर निगराकार 1 से 3 के हित में देने हेतु समय चाहते हैं, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि गैर निगराकार 4 से 6 की मंशा वास्तविकता में क्या है, जिसे अपर आयुक्त को अपने न्यायालय में देखना होगा । साथ ही वाद भूमि के विक्रेता पक्ष (गैर निगराकार 4 से 6) को उसे विक्रय करने का अधिकार था या नहीं, इस संबंध में भी अपर आयुक्त अपने न्यायालय के अपील प्रकरण में बोलते हुए निष्कर्ष निकालने होंगे ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 6–8–15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हुए उसे यथावत रखता हूँ, तथा यह निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं अपर आयुक्त, रीवा सूचित हों ।
अभिलेख अपर आयुक्त को वापस हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

6.1.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**